## षोडश

# बिहार विधान सभा

## पंचदश सत्र

## तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1941 (श०) / 02 मार्च, 2020 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **106**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग .. .. | 79 |
| (2) | सामान्य प्रशासन विभाग .. .. | 07 |
| (3) | गन्ना उद्योग विभाग .. .. | 06 |
| (4) | उद्योग विभाग .. .. | 07 |
| (5) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग .. .. | 06 |
| (6) | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग .. .. | 01 |
| | कुल योग -- | 106 |

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*538. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से पशु कब्रिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराना

*539. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के माली थाना का क्षेत्र बड़ा है एवं घरों में आग लगने पर या किसानों के खेत खलिहान में आग लगने पर सुरक्षा हेतु एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है जिसके कारण आग लगने पर जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते-आते मकान या फसल बुरी तरह नष्ट हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में फायर ब्रिगेड की गाड़ी माली थाना में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

ब्रह्मस्थान की घेराबंदी

*540. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के ग्राम-परशुरामपुर टोला के धनौरा वार्ड नम्बर 16 में स्थित ब्रह्मस्थान की घेराबंदी नहीं होने के कारण पूजा-पाठ करने में आम जनता को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ब्रह्मस्थान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*541. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बीरपुर अंचल में भवानंदपुर पंचायत स्थित पीरबाबा मजार कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 82, खेसरा 321 और रकबा लगभग 12 कट्ठा 6 धूर है की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*542. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के हल्दीखोड़ा पंचायत का सिंघाड़ी कब्रिस्तान जो संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, परंतु अभीतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

विधवा को नौकरी देना

*543. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में देव टोला गाँव निवासी सी0आर0पी0एफ0 के जवान शहीद रमेश रंजन ने आतंकवादियों से लड़ते हुये अपनी जान गवा दी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शहीद रमेश रंजन की आश्रित विधवा को नौकरी देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*544. श्री कमरुल होदा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखंड पोठिया अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर में पी0डब्लू0डी0 सड़क के किनारे अवस्थित अर्राबाड़ी कब्रिस्तान एवं धुमनियाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण यह आवारा एवं प्रतिबंधित पशुओं का चारागाह बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अर्राबाड़ी एवं धुमनियाँ कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

मंदिर की घेराबंदी

*545. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत स्थित प्राचीन काली मंदिर है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते-जाते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर के आस-पास पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन रहने के कारण भीड़ रहती है परंतु मंदिर की घेराबंदी नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*546. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्डान्तर्गत विस्फी थाना और पतौना थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विस्फी थाना के लिए विस्फी प्रखण्ड मुख्यालय/कोकिला चौक तथा पतौना थाना के लिए पतौना में सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्फी/पतौना में थाना का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

समस्या से निजात दिलाना

*547. श्री (डॉ0) सी0 ऐन0 गुप्ता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला सारण के सोनपुर-दीघा जेपी सेतु पर बालू, गिट्टी सहित अन्य भारी वाहनों के आवागमन के कारण जाम की समस्या बनी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जाम के कारण सेतु में एम्बुलन्स में मरीज इलाज के अभाव में तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं एवं निजी विद्यालयों की बसों का आवागमन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सेतु पर भारी वाहनों को बंद कर जाम की समस्या से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

खादी मॉल का निर्माण

*548. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अपनी जमीन एवं मकान जर्जर रहने के कारण पिछले दस वर्षों से किराये के मकान में बोर्ड का कार्यालय चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बोर्ड के पास पूर्णियाँ शहर में 25 डिसमिल जमीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खादी उद्योग के विकास के लिए पूर्णियाँ जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जमीन पर आधुनिक भवन-सह-खादी मॉल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*549. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत मेकना वेदा कब्रिस्तान एवं देकुली कब्रिस्तान की जमीन पर बगल के जमीन मालिक द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे दो समुदायों के बीच कई बार विवाद हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*550. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के मुसोरिया चैनपुर के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

उद्योग खोलना

*551. श्री कमरूल होदा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विगत 20 वर्षों से किशनगंज जिला में अनानास (पाईन एपल) की खेती व्यापक पैमाने पर नकदी फसल के रूप में की जाती है तथा वर्ष 2010 में सरकार द्वारा किशनगंज जिला को अनानास उत्पादक जिला भी घोषित किया गया है।

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में अनानास का प्रोसेसिंग उद्योग नहीं खोले जाने के कारण यहाँ के किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किशनगंज जिला के प्रखंड पोठिया में अनानास प्रोसेसिंग उद्योग खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।

(2) बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है।

(3) पोठिया, किशनगंज में अनानास प्रोसेसिंग आधारित उद्योग-लगाने का प्रश्न है तो वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो नीति के प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है।

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*552. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी प्रखंड अंतर्गत पंचायत-चेरकी के ग्राम-जयपुर टोला तकिया पर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

शुगर फैक्ट्री के अधिकारियों पर कार्रवाई

*553. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा प्रखंड के 1. मठबनवारी, 2. कंठछपरा, 3. चितररिया में किसानों के गन्ना क्रय करने हेतु सरकार ने पत्रांक 02/रे गु0 2-800-5/2019-1850 दिनांक 3 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से चीनी मिल को 3 दिसम्बर, 2019 को क्रय केन्द्र स्थापित करने का आदेश दिया था, लेकिन चीनी मिल द्वारा क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किया गया जिससे गन्ना किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश को नहीं मानने वाले शुगर फैक्ट्री के अधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*554. श्री यदुवंश कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम रामनगर कब्रिस्तान की आजतक घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कांड की जाँच

*555. श्रीमती प्रेमा चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर में राकेश यादव की हत्या हुयी थी, जिसका नगर थाना हाजीपुर कांड संख्या 1144/19 दर्ज है, परंतु अपराधियों की गिरफ्तारी अबतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

राशि वापस करने के संबंध में

*556. श्री ललित कुमार यादव--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 11 जनवरी, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''बगैर कागजात के चल रही पुलिस की 12 सौ गाड़ियाँ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 के सितम्बर माह से नये ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद पुलिस के द्वारा राज्यवासियों से करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के करीब 12 सौ से अधिक पुलिस वाहनों के कागजात नहीं मिल रहे हैं, जिसकी खोज में राज्य के सभी जिला पुलिस अधिकारी लगे हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नये ट्रैफिक नियम के तहत आम जनता से वसूली गई जुर्माने की राशि वापस करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*557. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के सोनकी पंचायत के जफरा कब्रिस्तान तथा मनीगाछी प्रखंड के राजे पंचायत के राजे कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*558. श्री जय वर्धन यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड के ग्राम-मखदुमचक के कब्रिस्तान की दीवार वर्ष 2019 में आई भीषण बाढ़ में गिर गई थी, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की दीवार का निर्माण नये सिरे से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*559. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड में मक्का की खेती काफी मात्रा में होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनवर्षा बाजार में किसानों को अपना मक्का बाजार मूल्य से कम दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे किसानों को मक्के का सही मुनाफा नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सोनवर्षा बाजार में किसानों के हित में कबतक मक्का आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।

(2) उद्योग विभाग से संबंधित नहीं है।

(3) सोनवर्षा, सहरसा में मक्का आधारित उद्योग लगाने का प्रश्न है तो वस्तुस्थिति यह है कि यह राज्य सरकार के द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई लगाई जाती है तो नीति के प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है। इस योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है ।

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*560. डॉ० रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड स्थित बनगाँव उत्तरी पंचायत के ग्राम मुरलियाडीह, वार्ड नं० 12 में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से हमेशा दो समुदाय के बीच तनाव का महौल बना हुआ रहता है तथा कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं होने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

औद्योगिक इकाई की स्थापना

*561. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड में चावल एवं मकई की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं होने के कारण किसानों को उक्त फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार मकई एवं चावल की औद्योगिक इकाई कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*562. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में पंचायत भोगडाबर के मुख्य टोला एवं पंचायत डुमरिया के ग्राम मीरभीट्टा में अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तानों में आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## ऋण उपलब्ध कराना

*563. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के फंड में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपया जमा है, जिसे बेरोजगार अल्पसंख्यकों के बीच रोजगार हेतु ऋण की राशि मुहैया करानी है;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक कल्याण समिति के पास वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 340 आवेदन ऋण उपलब्ध कराने हेतु बेरोजगार अल्पसंख्यकों के द्वारा जमा किया गया है, जिसमें अबतक मात्र 11 आवेदन स्वीकृत किया गया हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शेष बचे आवेदकों को कबतक ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

## लिपिक की नियुक्ति

*564. श्री अभय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी प्रखंड में छः (6) सामान्य एवं तीन (3) उर्दू लिपिक के पद सृजित हैं, जिसमें लिपिक के एक (1) महिला लिपिक जो अनुकम्पा से नियुक्त हैं एवं उर्दू के दो (2) लिपिक वर्तमान में टिकारी प्रखंड में कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित लिपिकों की कमी के कारण टिकारी प्रखंड के आम नागरिकों को प्रखंडस्तरीय कार्य करवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) के वर्णित रिक्त पदों पर लिपिकों की नियुक्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---------

## आवासीय भवन का निर्माण

*565. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के चाँदपुरा ओपी थाना एवं सहदेई बुजुर्ग के थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष एवं पुलिस कर्मियों के रहने के लिये आवासीय भवन नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक एवं विधि व्यवस्थाओं का सही से निष्पादन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों थाना में थानाध्यक्ष एवं पुलिसकर्मियों के लिये आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

## गन्ना ढुलाई करना

*566. श्री चन्दन कुमार--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया एवं अलौली प्रखंड के गन्ना उत्पादक किसानों को सलौना रेलवे स्टेशन रेक प्वाईंट से रेल द्वारा ढुलाई बंद हो जाने से हसनपुर मिल तक गन्ना भेजवाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सलौना स्टेशन से रेल द्वारा गन्ना ढुलाई पुनः शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*567. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगियाँव प्रखंड अन्तर्गत अगियाँव पुलिस स्टेशन में बरसात के दिनों में जल-जमाव रहने के अलावा विगत 5 वर्षों से मरम्मती के अभाव में उक्त कार्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुँच चुका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्यालय भवन का जल-जमाव से निजात दिलाते हुये उसका जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

आवंटन राशि उपलब्ध कराना

*568. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा एम० एस० डी० पी० योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके में भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा चार कमरों का बुनियादी विद्यालय एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन पूर्ण रूप से निर्माण कर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कटिहार को समर्पित कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा जिलाधिकारी, कटिहार को उक्त कार्य के बदले आवंटन हेतु 1 वर्ष पूर्व पत्र प्रेषित करने के बावजूद खंड (1) में वर्णित कार्यों के लिये राशि आवंटन अभीतक नहीं किया गया है एवं आवंटन के अभाव में संवेदकों का भुगतान लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्यों से संबंधित आवंटन राशि उपलब्ध कराकर संवेदकों की लंबित राशि के भुगतान का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

पुल से जाम खत्म करना

*569. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सीतामढ़ी बाजार में मेहसौल चौक से मुख्य बाजार जानकी स्थान की ओर जाने में लखनदेई नदी के ऊपर आर० सी० सी० पुल बना हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल पर ठेला लगाकर सामान बेचने से हमेशा जाम लग जाता है जिससे आवागमन बाधित होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लखनदेई पुल को जाम से कबतक मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

मिल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई

*570. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मगध सुगर मिल, सिधवलिया द्वारा सामान्य प्रभेद बी-0-150 गन्ना की खरीद विगत तीन वर्षों से किसानों के द्वारा निम्न प्रभेद COSE 92423 के रूप में किया गया हैं जिससे गन्ना किसानों को करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 172, दिनांक 7 फरवरी, 2020 में भी उक्त आरोप को सत्य पाया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित गन्ना किसानों को हुई आर्थिक क्षति का भुगतान चीनी मिल द्वारा कराते हुये दोषी मिल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैफिक पुलिस की पदस्थापना

*571. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिला के बौंसी प्रखण्ड के मुख्य चौराहा जो बिहार एवं झारखंड का बॉर्डर भी है, जो बड़ी गाड़ियों के नो इन्ट्री जोन भी है एवं ट्रैफिक पुलिस होने के बाद भी जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार सुबह 9.00 बजे से शाम 9.00 बजे तक बड़ी गाड़ियों के नो एंट्री की व्यवस्था करते हुए जाम से निजात दिलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-----------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*572. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के ग्राम पंचायत कंसार के पराही ग्राम, वार्ड 12 में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-----------

ओ0 पी0 स्थापित करना

*573. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के सरसोपाही एवं भगवतीपुर, पण्डौल प्रखंड मुख्यालय से 20 कि0 मी0 की दूरी पर अवस्थित है, जिसके कारण प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित पंडौल थाना से विधि-व्यवस्था नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भगवतीपुर एवं सरसोपाही में ओ0 पी0 स्थापित करने का विचार रखती है ?

-----------

प्रमंडल बनाना

*574. श्री अत्रि मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना प्रमंडल में स्थित नालन्दा के लोगों को पटना में गया प्रमंडल में स्थित जहानाबाद व नवादा एवं शेखपुरा प्रमंडल में स्थित मुंगेर में आमजन की समस्याओं को लेकर जाना पड़ता है जबकि पटना प्रमंडल का क्षेत्र अधिक होने के कारण आयुक्त कार्यालय को कार्य का दबाव रहता है, यदि हाँ, तो सरकार नालन्दा, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद को मिलाकर बिहारशरीफ को प्रमंडल कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-----------

प्रशिक्षण एवं ऋण राशि उपलब्ध कराना

*575. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनु0 जाति, जनजाति के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिए वर्ष 2018 में 10 लाख रुपये का ऋण अनुदान सहित ब्याजमुक्त राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में अनु0 जाति के शिक्षित युवा नगीना राम, प्रमोद राम, मटियरिया पंचायत सहित 50 से अधिक शिक्षित युवाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में आवेदन दिया गया है, परन्तु न तो प्रशिक्षण दिया गया है और न ही राशि उपलब्ध करायी गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत आवेदित आवेदकों को प्रशिक्षण दिलाकर ऋण राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखण्ड में अनु0 जाति के शिक्षित युवा नगीना राम एवं प्रमोद राम का आवेदन संख्या CMSCST 201816748 एवं CMSCST 201817638 आवेदन दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 एवं 26 अक्तूबर, 2018 है । योजनान्तर्गत आवेदन संख्या CMSCST 201809000 (9000 आवेदन) तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जा चुकी है । शेष आवेदनों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

----------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*576. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुआबाड़ी में स्थित गुआबाड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

----------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*577. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बीरपुर अंचल में डीह-मुजफरा जामा मस्जिद कब्रिस्तान जिसका खाता सं0 262, खेसरा सं0 561 और रकबा लगभग 5 कट्ठा है, की घेराबन्दी अभीतक नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

----------

प्रोत्साहन राशि का आवंटन

*578. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रभारी जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने पत्रांक 91 जी0अ0क0 द्वारा विशेष सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखकर वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक में प्रथम/द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं एवं इंटर 2015 में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का आवंटन भेजने हेतु सूची के साथ माँग-पत्र भेजा गया है, परंतु आवंटन अभीतक अप्राप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त लंबित प्रोत्साहन राशि का आवंटन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

## उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार

*579. श्री शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 19 जनवरी, 2020 को जल-जीवन-हरियाली के प्रचार-प्रसार हेतु मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था जिसमें बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं दिवाल लेखन में हिन्दी भाषा में प्रचार-प्रसार किया गया जबकि उर्दू बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा है, लेकिन उर्दू भाषा में उक्त कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त मानव श्रृंखला में उर्दू भाषा में प्रचार-प्रसार नहीं करने का क्या औचित्य है ?

---

## चीनी मिल को चालू करना

*580. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में अवस्थित सासामुसा चीनी मिल को सरकार के द्वारा सब्सिडी (माली मदद) नहीं देने के कारण चीनी मिल मालिक के द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे किसान एवं गन्ना उत्पादकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मिल को सब्सिडी उपलब्ध कराकर चीनी मिल कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## कब्रिस्तान की घेराबंदी

*581. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत नौतन प्रखंड के सोफवा टोला, धुमनगर गाँव के खाता संख्या 2, खेसरा 127, रकबा 9 कट्ठा 11 धूर में कब्रिस्तान स्थित है जिसकी घेराबंदी नहीं की गयी है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गयी सूची के क्रम संख्या 5 में शामिल है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## थाना भवन का निर्माण

*582. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर थाना का भवन अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन को तोड़कर नये थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

## बीज एवं अनुदान देना

*583. श्री जनार्दन माँझी--क्या मंत्री, गन्ना विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत अमरपुर विधान सभा क्षेत्र में गन्ना की खेती व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन अच्छे किस्म की बीज नहीं मिने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों के प्रोत्साहन के लिये अच्छी बीज एवं अनुदान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*584. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखंड अन्तर्गत तियाय ओ०पी० का अपना भवन नहीं रहने से कानून व्यवस्था का कार्य सुचारूरुपेण नहीं चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ओ०पी० के अपने भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

भूमि का आवंटन

*585. श्री गुलाब यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड स्थित औद्योगिक प्रांगण की भूमि को लघु उद्योग स्थापित करने के वास्ते विभिन्न इकाइयों को लीज पर दी गई है, यदि हाँ, तो उक्त स्थल पर किस-किस इकाइयों/एजेंसियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु जमीन दी गयी, वर्तमान में अनुज्ञप्ति के अनुरूप कौन से लघु उद्योग कार्यरत हैं ?

---

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*586. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के सिन्हा ओ०पी० में कांड संख्या 257/19 एवं 468/19 में थानाध्यक्ष की लापरवाही के कारण मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कराते हुये उक्त कांड में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*587. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत नोनार पंचायत के नोनार ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*588. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड लकड़ी नबीगंज के पंचायत लकड़ी के ग्राम लकड़ी, टोले माधोपुर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*589. श्रीमती कुंती देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-मंडई में कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

थाना भवन का निर्माण

*590. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के डुमरिया घाट थाना का भवन 10 वर्षों से जर्जर होने के कारण पुलिस प्रशासन को कार्य करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना के नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*591. श्री चंद्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा सदर प्रखंड के तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया पंचायत के गोसाई टोला, पीपरपत्ता एवं भदौल पंचायत के बुद्धमा टोला के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है जिससे दो समुदायों के बीच तनाव पैदा हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की जमीन का घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अनुमंडल का निर्माण

*592. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत कोढ़ा प्रखंड की दूरी जिला मुख्यालय से 20 कि०मी० तथा फलका प्रखंड से 38 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कोढ़ा विधान सभा की जनसंख्या 6,03,634 है साथ ही कोढ़ा प्रखंड को अनुमण्डल बनाने की सभी अर्हताएँ रखता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोढ़ा प्रखंड को अनुमण्डल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ओ०पी० को पूर्ण थाना का दर्जा

*593. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-गड़हनी में विगत 5 वर्ष पूर्व में ओ०पी० थाना खोला गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओ०पी० को थाना का दर्जा नहीं मिलने के कारण ग्रामीण जनता को अप्रिय घटना घटित हो जाने पर उन्हें चरपोखरी थाना रेफर कर दिया जाता है जिसकी दूरी 20 कि०मी० पड़ता है, उक्त प्रखंड को काउप पंचायत, हरपुर पंचायत, मझियाँव पंचायत इत्यादि गावें भी ओ०पी० में सम्मिलित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीणों की कठिनाई एवं दूरी को देखते हुये उक्त ओ०पी० को पूर्ण थाना का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*594. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के गुरूद्वाद गाँव एवं बरमोरिया गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से आमजनों को काफी कठिनाई हो रही है,

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जनहित में उक्त वर्णित दोनों गाँवों के कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*595. श्री चंद्रशेखर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुरलीगंज प्रखंड अन्तर्गत भतखोड़ा पंचायत के सोनवर्षा टोला एवं जीतापुर पंचायत के भीत्ता टोला के कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी नहीं हुयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अग्निशामक केन्द्र बनाना

*596. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है, जिसके कारण जिला मुख्यालय से प्रखंड में अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मझौलिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*597. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनीफरीदपुर प्रखंड के ग्राम-गुलाबगंज के खाता संख्या 1130, प्लॉट 3235 एवं ग्राम-सिकन्दरपुर के खाता संख्या 1365, प्लॉट 3349 कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है और हमेशा विवाद होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*598. श्री सत्यदेव राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के जीबी नगर थाना में 17 अगस्त, 2019 को शराब पीने के जुर्म में लाल बहादुर प्रसाद वल्द बलराम प्रसाद, ग्राम-गौर के निवासी को पकड़कर लाया गया और उनकी जबरदस्त पिटाई की गई जिसे अस्पताल जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मृतक के परिजनों यथा पत्नी तक को मिलने की बात तो दूर लाश तक नहीं दिया गया और न ही आजतक एफ0 आई0 आर0 तक दर्ज नहीं हो सका है जिससे पीड़ित परिवार को कोई राहत नहीं मिला है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

पंचायतों को थाना क्षेत्र में मिलाना

*599. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड के निमोईया पूर्वी, निमोईया पश्चिमी, पंचायत घोड़ासाहन थाना क्षेत्र एवं ईनरवा फुलवार, गोला पकड़िया पंचायत लखौरा थाना क्षेत्र में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि घोड़ासाहन थाना एवं लखौरा थाना की दूरी खंड (1) में वर्णित स्थानों से 25 किलो मीटर है जिससे किसी प्रकार की घटना घटने पर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बनकटवा प्रखंड के अन्तर्गत जितना थाना अवस्थित है जिसकी दूरी खंड (1) में वर्णित स्थानों से मात्र 10 से 15 किलो मीटर है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी पंचायतों को जितना थाना क्षेत्र में मिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*600. श्री (मो0) तौसीफ आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के ग्राम-नटुआपाड़ा के नटुआपाड़ा में कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुई है, जिसके कारण उक्त कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

एस0डी0पी0ओ0 मुख्यालय खोलना

*601. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड रोहतास, तिलौथु, नौहट्टा सहित पाँच थाना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है जहाँ एस0डी0पी0ओ0 मुख्यालय नहीं रहने से उग्रवाद पर अंकुश नहीं लग रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उग्रवाद को रोकने हेतु रोहतास प्रखंड मुख्यालय में एस0डी0पी0ओ0 मुख्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस शिविर स्थापित करना

*602. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बाघमारा पंचायत के बैजनाथपुर दियारा के ऋषिमुनि मंडल, पिता-स्व0 रामदेव मंडल को अवैध हथियार से लैश अपराधियों ने दिनांक 13 जनवरी, 2020 को मार-पीट की और 10 टीन दूध देने की धमकी दी, हवा में गोलियाँ चलाकर आतंकित किया, इस तरह की घटनाएँ दियारे में आम होती है, किसानों से रंगदारी ली जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बैजनाथपुर दियारा में पुलिस शिविर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अग्निशमन की गाड़ियाँ उपलब्ध कराना

*603. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कोटवा एवं कल्याणपुर थाना में अग्निशमन की गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि अगलगी की घटना होने पर अनुमंडल मुख्यालय से अग्निशमन की गाड़ियाँ आने में काफी विलम्ब हो जाता है जिससे जान-माल को भारी क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों थानों में अग्निशमन की गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

चहारदीवारी का निर्माण कार्य

*604. श्री चंद्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के प्रखंड इस्लामपुर के आन्या पंचायत के राजस्व ग्राम-सिढ़ारी में खाता नम्बर 134, प्लॉट नंम्बर 363, रकबा 4.06 डीसमील पर अवस्थित कब्रिस्तान एवं मोजफरा पंचायत के ग्राम-खोरमपुर में खाता नम्बर 74, प्लॉट नम्बर 283 पर अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं होने के कारण कब्रिस्तानों की जमीन आवारा पशुओं का चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भवन का निर्माण

*605. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर थाना अन्तर्गत भूमिहीन हरपुर थाना के भवन निर्माण हेतु सतत् लीज नीति के तहत भूमि चिह्नित कर दो वर्ष पूर्व पुलिस मुख्यालय, पटना को भेज दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि का सतत् लीज नीति के तहत भू-अर्जन हेतु राशि जिला पदाधिकारी, मुंगेर को मार्च, 2019 में प्राप्त हो गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भू-अर्जन की प्रक्रिया पूरी कर उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*606. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के इन्द्रवारा पंचायत के चकलालशाही चौक स्थित तिनमुहानी चौक पर दुकानदारों द्वारा सड़क (सरकारी जमीन) का अतिक्रमण करने से वाहन का आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

न्याय दिलाना

*607. श्री अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के सालिमपुर थाना में दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को कांड संख्या 211/19 दर्ज किया गया है जबकि उक्त कांड में मृतक के परिजनों द्वारा फोर्ड अस्पताल, पटना के राम कृष्णा नगर थाना पुलिस को भी बयान दर्ज किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है सालिमपुर थाना में दर्ज बयान एवं राम कृष्णा नगर थाना में दर्ज बयान में काफी भिन्नता है तथा सालिमपुर थाना में निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, क्या सरकार कांड सं० 211/19 की जाँच कराकर दोषी को सजा एवं निर्दोष को न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*608. डॉ० रंजु गीता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतमढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड स्थित बनगाँव उत्तरी पंचायत के ग्राम-महमदा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से स्थानीय लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*609. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखंड के गिरदा गाँव में स्थित गिरदा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*610. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत सिझुआ पंचायत के चकौली ग्राम में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*611. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत असरगंज प्रखण्ड के अधीन ग्राम-सरौन, जोरारी, मिल्क जोरारी, मकवा एवं बनगामा अवस्थित है, परन्तु इनका थाना असरगंज न होकर तारापुर है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 7982/एच-02, दिनांक 6 जुलाई, 2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से इस विषय में मंतव्य सहित प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अभीतक पुलिस मुख्यालय को अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को असरगंज थाना के अधीन किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना भवन निर्माण

*612. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत सुरसंड थाना के अधीन स्थित कुम्माँ ओ0 पी0 एवं भिट्ठामोड़ ओ0 पी0 का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपना भवन नहीं रहने के कारण उक्त दोनों ओ0 पी0 निजी (किराये के मकान) में चल रहा है जिसके कारण पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों ओ0 पी0 का भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

अनुमंडल बनाना

*613. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय एन0 एच0 139 पर अम्बा है, जो नवीनगर प्रखंड और देव प्रखंड के मध्य में अवस्थित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अम्बा में उक्त तीनों प्रखंडों को शामिल कर अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*614. श्री वशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-कोचस, पंचायत-रेड़ियाँ के ग्राम-उवधि में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*615. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के गोछी कुण्डर पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराना

*616. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के नवीनगर एवं बारुन प्रखंड में अवस्थित नवीनगर एवं बारुण सहित अन्य थानों में मीनी फायर ब्रिगेड है, जिससे आग लगने पर बुझाने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त थानों में बड़ा फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

--------

जल निकासी की व्यवस्था

*617. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के पुपरी एवं सुरसंड थाना परिसर, कार्यालय भवन एवं पुलिस-बैरक भवन में बरसात के दौरान भारी जल जमाव होने के चलते थाना कर्मियों को रहने एवं कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना परिसर, कार्यालय एवं पुलिस-बैरक से स्थायी रूप से जल निकासी हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

नाविकों को संरक्षण देना

*618. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखंड के मनिहारी घाट पर साहेबगंज से नावों द्वारा गिट्टी ढुलाई का बंद काम माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आदेश पर 13 जून, 2013 को आरम्भ किया गया था। श्रीनिवास यादव मिर्जापुर और दाहु यादव के आदमियों द्वारा एक-एक हजार रुपये रंगदारी मांगे जाने से काम बंद है और आरोपियों के खिलाफ मनिहारी थाना में कांड संख्या 519/2019 दर्ज है, साथ ही हजारों मजदूर भूखे मर रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार रंगदारी रुकवाकर नाविकों को संरक्षण देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

थाना कांड की जाँच

*619. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत ग्राम-सत्तर, वार्ड नं०-13 के निवासी श्री विनय कुमार उर्फ अशोक पासवान को दिनांक 3 अप्रील, 2017 को अपराधियों द्वारा दोनों आँखों में गोली मार दी गई और वह दोनों आंख से अंधा हो गये, जिसका लखीसराय टाउन थाना कांड संख्या 145/2017 दर्ज है, लेकिन पीड़ित का बयान अभीतक पुलिस द्वारा दर्ज नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना कांड संख्या 145/2017 की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*620. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत दिघलबैंक प्रखंड में पंचायत जागीर पदमपुर के ग्राम हाट पदमपुर एवं पंचायत करवामनी के ग्राम करवामनी में अवस्थित कब्रिस्तान की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तानों में आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

भवन को खाली कराना

*621. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला के कटोरिया प्रखंड मुख्यालय में निरीक्षण भवन (आई० बी०) अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निरीक्षण भवन में विगत 4 वर्षों से अधिक समय से पुलिस पदाधिकारीगण बिराजमान है, फलस्वरूप प्रखंड मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों को कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवन को खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*622. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थानान्तर्गत जनार्दन ग्राम निवासी प्रसिद्ध समाजसेवी स्व० रघुवर राय की हत्या पर कल्याणपुर थाना कांड संख्या 18/19 दर्ज होने पर भी अभीतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गयी है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार स्व० राय के हत्या के अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

दोषी के खिलाफ कार्रवाई

*623. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत जाले थाना में दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 को केस संख्या 176/19 जो कि गंभीर दलित उत्पीड़न का केस है, के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जिसके कारण केस से सम्बंधित दोषी बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ित दलित परिवार को कबतक न्याय दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लोन देने की प्रक्रिया पूर्ण कराना

*624. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा भोजपुर जिला में दो वर्ष में कुल 55 लोगों को लोन दिया गया, जिसमें सन् 2017-18 में 28 लोग एवं 2018-19 में 27 लोगों को अबतक व्यापार लोन दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यकों को लोन में दो से तीन वर्ष लग गये, लेकिन अभी भी कुल 109 चयनित लोगों के लोन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर जिला में सन् 2019-20 का लोन देने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*625. श्रीमती कुंती देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड खिजरसराय के ग्राम-नौडीहा में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी आजतक नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कार्यालय भवन निर्माण

*626. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत छौड़ादानों में पुलिस निरीक्षक कार्यालय का अपना भवन नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन नहीं रहने के कारण पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मीगण को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो, क्या सरकार पुलिस निरीक्षक कार्यालय भवन निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*627. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के सरौन गाँव एवं भलशुम्भा के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किये जाने से आमजनों को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सदभाव मंडप का निर्माण

*628. श्री जीवेश कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के दरभंगा परिभ्रमण के अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कुल 1301.92 लाख रुपये की योजना का शिलान्यास/उद्घाटन हुआ था, जिसमें सिंहवाड़ा प्रखंड में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) अन्तर्गत सदभाव मंडप (71 लाख) का शिलान्यास हुआ था, लेकिन शिलान्यास के दो साल बाद भी अभीतक उक्त योजना का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार सिंहवाड़ा प्रखंड में सदभाव मंडप का निर्माण कार्य कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

शराब तस्कर पर कार्रवाई

*629. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 3 फरवरी, 2020 को बंगाल से बिहार के समस्तीपुर भेजी जा रही 1 करोड़ 23 लाख रु० मूल्य के 4 ट्रक शराब जिसकी मात्रा 12356 लीटर थी, अररिया पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा जाँच के क्रम में पकड़ा गया एवं तीन ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार किया गया, यदि हाँ, तो सरकार शराब की आपूर्ति करने वाले एवं उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई की है, नहीं, तो क्यों ?

---------

पुलिस जिला बनाना

*630. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल की आबादी करीब चौदह लाख है, जिसमें 20 थाना कार्यरत हैं एवं तीन पुलिस अनुमंडल में विभाजित है;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाट अनुमंडल का सुदूरवर्ती डुमरिया थाना की दूरी जिला मुख्यालय से 100 कि० मी० से अधिक है, जिसके कारण विधि-व्यवस्था संधारण में काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधि व्यवस्था संधारण हेतु शेरघाटी को पुलिस जिला बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*631. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरगंज प्रखंड अन्तर्गत प्रेमजीवर कब्रिस्तान एवं पंसीहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से कब्रिस्तान की जमीन पर बगल के जमीन मालिक द्वारा धीरे-धीरे अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*632. श्री शिवचंद्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के सहदेई प्रखंड के ग्राम-सलहा एवं देसरी प्रखंड के ग्राम-गाजीपुर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*633. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखण्ड के सुढ़ी पंचायत में बुढ़वापीर कब्रिस्तान जो प्लॉट नं० 1836 खाता सं० 235 तथा प्लॉट नं०736, खाता सं० 236 पर अवस्थित है, जिसकी घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान आवारा पशुओं का अड्डा हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

दोषी पर कार्रवाई

*634. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत कोईलवर थाना में कांड संख्या 152/19 में पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा भौतिक सत्यापन में श्री गजेन्द्र यादव को मुख्य अभियुक्त सहित अन्य लोग अभियुक्त बनाये गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा मुख्य आरोपी श्री गजेन्द्र यादव से पैसा लेकर आरोप से मुक्त कर दिया गया साथ ही अन्य गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड को पुनः जाँच कराते हुये मुख्य आरोपी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

छात्रावास का निर्माण

*635. श्री विजय प्रकाश--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है जिससे विद्यार्थियों को जिला में आवासित होकर पठन-पाठन में बहुत कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार जमुई जिला में एक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

नया सरकारी वाहन उपलब्ध कराना

*636. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार अनुमंडल अधिकारी को 12 वर्ष पूर्व सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया था, जो जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी को नया सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाया राशि का भुगतान

*637. श्री मदन मोहन तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत सुगर मिल मझौलिया में गन्ना पेराई सत्र 2018-19 में किसानों का बकाया 13 करोड़ है;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछला बकाया का भुगतान किये बिना ही नया पेराई सत्र चालू है तथा पुनः किसान अपना गन्ना उक्त मिल में देने को मजबूर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के बकाया राशि का भुगतान पेराई सत्र 2019-20 की समाप्ति से पूर्व देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पेराई सत्र 2018-19 में मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, मझौलिया, प० चम्पारण द्वारा 99.65 प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है । दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक मात्र मो० 66.17 लाख रुपये ईख मूल्य भुगतान मद में बकाया है । शेष भुगतान इस चीनी मिल द्वारा किया जा रहा है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । चालू पेराई सत्र 2019-20 में ससमय ईख मूल्य भुगतान करने हेतु सभी चीनी मिलों को निदेशित किया गया है ।

(3) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

---

अनुमंडल कार्यालय का निर्माण

*638. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सिकन्दरा में 1864 में अनुमंडल मुख्यालय था, लेकिन अब नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई से अलीगंज प्रखंड की दूरी 40 एवं जमुई से सिकन्दरा प्रखंड की दूरी 25 कि०मी० है जिसके कारण सिकन्दरा के आम जनता को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अलीगंज सिकन्दा प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों को मिलाकर सिकन्दरा में अनुमंडल कार्यालय का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना भवन का निर्माण

*639. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर थाना एक बड़ा थाना है लेकिन थाना कार्यालय एवं पुलिस आवास का वहाँ घोर अभाव है तथा जो भवन है वह जर्जर अवस्था में है, इससे थाना कर्मियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मधेपुर के थाना भवन एवं कर्मियों के लिये आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*640. सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड में दक्षिणी सोता के पकड़िया में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, है, जिसके कारण जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगवाना

*641. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज प्रखण्ड अन्तर्गत वासोचक गाँव में पावर ग्रिड के बगल में 61 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला एक उद्योग विहीन जिला रहने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में रोजगार हेतु कबतक कृषि पर आधारित उद्योग लगवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*642 श्री लाल बाबू राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत के बाजी बुजुर्ग में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से वहाँ के स्थानीय लोग जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*643 श्री संजय कुमार तिवारी--क्या मंत्री, सामान्य प्रसाशन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में खरवार जाति के लोगों का राजस्व अभिलेख में पेशागत नाम कमकर दर्ज होने के कारण इन्हें खरवार जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खरवार जाति को इनका जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 02 मार्च, 2020 (ई०)।

बि०स०मु० 155 (एल०ए०) 2019-20 डी०टी०पी०—550